**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज0**

**पीठासीन अधिकारी** : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या** : **97/2019 (54/2017)**

**GCMS No.** : **2017/00084**

| **प्रार्थी :–** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण :–** |
|---|---|---|
| 1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली। | | 1. मंगलचन्द पुत्र बंशीलाल जातियान ब्राह्मण निवासी अमरपुरा तहसील–जैतारण।<br>2. मदनसिंह पुत्र सुगनसिंह<br>3. चैनसिंह पुत्र सुगनसिंह जातियान राजपूत निवासी बलुपुरा तहसील–जैतारण। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू –: 24/09/2019**

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉक :– 30/12/2021**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा–बलुपुरा में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 111/2 रकबा 40–18 बीघा, किस्म– बारानी दोयम, लगान 12.68 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि का अकृषि दुकानें बनाकर उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी में से रकबा 0–2 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर दुकाने बनाकर उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा–बलुपुरा तहसील–जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 111/2, रकबा 40–18 बीघा किस्म– बारानी दोयम, लगान 12.68 प्रतिवर्ष आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 19.12.2016 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि समयावधि में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने से जबाब प्रा.पत्र बन्द कर दिया गया। बहस वकुलाय राजस्व प्रा.पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त/खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 111/2 रकबा 40–18 बीघा जिनकी किस्म–बारानी दोयम है, अर्थात् कृषि योग्य भूमि है, का बिना विधिक प्रक्रिया की अनुपालना किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर दुकानें बनाकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा था। पटवारी की मौका फर्द दिनांक 19/12/2016 से इस तथ्य की भली–भांति पुष्टि होती है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14/09/2020 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 178(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 111/2 में दुकानों का निर्माण किया गया अर्थात् कृषि भूमि को बिना सक्षम अनुमति के गैर–कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया। वादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह निवेदन किया गया था कि प्रतिवादी को नियमानुसार संदाय फीस एवं संपरिवर्तन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय दिलाया जावें। न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन पर उसे संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी न्यायालय हाजा में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार मंगलचंद पुत्र बंशीलाल द्वारा वादग्रस्त खसरे के 2 बिस्वा रकबे पर दुकानें बनाकर व्यावसायिक रूप से अनुप्रयोग किया जाना कृषि–योग्य भूमि के संबंध में अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी का उक्त कृत्य हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के वादग्रस्त आराजी में अकृषि प्रयोग में लिये गये 2 बिस्वा रकबा किस्म बारानी दोयम की सीमा तक खातेदारों के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए बेदखल किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार जैतारण का वाद अन्तर्गत धारा 177, रा.का.अधि. 1955 भली भॉति साबित होता है।

अतः ग्राम बलुपुरा के खसरा नं 111/2 कुल रकबे में से अकृषिक प्रयोग लिये गये 02 बिस्वा रकबे की खाते[illegible] विलोपित करते हुए खातेदारों के कुल रकबे में से कम किया [illegible] सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार, जैतारण को उक्त [illegible] लेते हुए मौके पर निर्मित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अकृषिक संरचनाओं को भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु निर्देशित किया जाना विधिसम्मत रहेगा।

**-: आदेश :-**

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- बलुपुरा, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 111/2 रकबा 40-18 बीघा, किस्म- बारानी दोयम में से अकृषिक प्रयोग लिये गये 02 बिस्वा रकबे को खातेदारी से विलोपित करते हुए खातेदारों के कुल रकबे में से कम किया जाकर सिवाईचक खाता सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक संरचनाओं को भौतिक रूप से बेदखल करें तथा इस आदेश का भू-अभिलेख में अमल दरामद करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:51 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

**बईजलास** :– **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

**प्रार्थी** :– **बनाम** **अप्रार्थीगण** :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

1. मंगलचन्द पुत्र बंशीलाल
जातियान ब्राह्मण निवासी
अमरपुरा तहसील–जैतारण।
2. मदनसिंह पुत्र सुगनसिंह
3. चैनसिंह पुत्र सुगनसिंह
जातियान राजपूत निवासी
बलुपुरा तहसील–जैतारण।

मु0न0 :रा0प्रा0पत्र स0: 97/2019 (54/2017)

**राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........–........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद** वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा–बलुपुरा, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 111/2 रकबा 40–18 बीघा, किस्म–बारानी दोयम में से अकृषिक प्रयोग लिये गये 02 बिस्वा रकबे को खातेदारी से विलोपित करते हुए खातेदारों के कुल रकबे में से कम किया जाकर सिवाईचक खाता सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक संरचनाओं को भौतिक रूप से बेदखल करें तथा इस आदेश का भू–अभिलेख में अमलदरामद करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/12/2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:51 IST
Reason: SelfAttested

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्दायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 | स्टाम्प अर्जी | 1.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0.00 | महनताना वकील | 0.00 |
| महनताना वकील | 0.00 | खर्चा गवाहान | 0.00 |
| खर्चा गवाहान | 0.00 | फीस कमीश्नर | 0.00 |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | मुत्फरिक | 0.00 |
| मिजानः- | 0.00 | मिजानः- | 2.00 |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:51 IST
Reason: SelfAttested